

कार्यालय मुख्य अभियंता (पश्चिमी क्षेत्र) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पत्रांक- 1375/ग्रा0अ0से0/लेखा-ठेके0पंजी0- /2018-19/दिनांक- 22-2-2019

पंजीकरण संख्या- 487/श्रेणी 'बी' /मार्ग निर्माण/2019

--: पंजीकरण प्रमाण पत्र -:

अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-बरेली के पत्रांक-1401 दिनांक 23.01.2019 से प्राप्त मैसर्स श्याम कन्सट्रक्शन कम्पनी प्रो० श्री चन्द्रपाल सिंह निवासी ग्राम करनपुर हरकिशनपुर थाना छजलेट तहसील कांठ जिला-मुरादाबाद का श्रेणी- "बी" में पंजीकरण सम्बन्धी प्रपत्रों के सत्यापन/संस्तुति के आधार पर मैसर्स श्याम कन्सट्रक्शन कम्पनी प्रो० श्री चन्द्रपाल सिंह निवासी ग्राम करनपुर हरकिशनपुर थाना छजलेट तहसील कांठ जिला-मुरादाबाद को ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में मार्ग निर्माण कार्य के लिये श्रेणी-"बी" में ठेकेदारी हेतु दिनांक-30.06.2021 तक की अवधि के लिए एतद्वारा पंजीकृत किया जाता है।

यह प्रमाण पत्र ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पश्चिमी क्षेत्रान्तर्गत उत्तर प्रदेश के राजस्व मण्डल बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़, चित्रकूटधाम बोंदा एवं झौंसी के जनपदों में मान्य होगा तथा इसकी वैधता दिनांक-30.06.2021 के बाद स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

नवीनीकरण हेतु प्रार्थना पत्र अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मुरादाबाद के कार्यालय में वैधता तिथि समाप्त होने के दो माह पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(अनिल कुमार गर्ग)
मुख्य अभियन्ता (प0क्ष0)।

पत्रांक एवं दिनांक-उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मुरादाबाद।
- 2- अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-मुरादाबाद।
- 3- समस्त अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित आदेश की प्रति अपने स्तर से अधीनस्थ प्रखण्ड/पीआईयू को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 4- मुख्य अभियंता (पूर्वी क्षेत्र) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
- 5- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, (मानी०/नियो०) उ०प्र० लखनऊ।
- 6- मैसर्स श्याम कन्सट्रक्शन कम्पनी प्रो० श्री चन्द्रपाल सिंह निवासी ग्राम करनपुर हरकिशनपुर थाना छजलेट तहसील कांठ जिला-मुरादाबाद(मो०नं० 9837829923 ई०मेल- chandrapalmbd@gmail.com) को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि यदि प्रस्तुत अभिलेखों में आप द्वारा किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन किया जाता है, तो उसकी सूचना सुसंगत अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों सहित तत्काल इस कार्यालय को दी जाये तथा अभिलेखों में इंगित पते/ई-मेल पर भेजा गया पत्र आपको प्राप्त हुआ माना जायेगा। तथा चरित्र प्रमाण पत्र की वैधता तिथि-26.12.2020 एवं हैसियत प्रमाण पत्र की वैधता तिथि 23.02.2020 समाप्त होने से एक माह पूर्व इनकी नवीन प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराये। उक्त वैधता तिथि के पश्चात आप निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेंगे।
- 7- अवर अभियन्ता (प्राविधिक), कार्यालय मुख्य अभियन्ता(प0क्ष0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ०प्र० लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि फर्म/ठेकेदार के पंजीकरण की इण्ट्री वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।



मुख्य अभियन्ता (प0क्ष0)।